20/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

प्रा॰पत्र O-22 R-4, 9, 10 CPC पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह ज्ञात है कि प्रतिवादी सं॰ 02 वादी का सगा भाई है। अपने सगे भाई की मृत्यु के संबंध में वादी को भली-भाँति जानकारी व ज्ञान होते हुए मृत्यु दिनांक 15/02/22 के पश्चात तकरीबन सात माह के पश्चात् मृत प्रतिवादी सं॰ 02 के का॰मु॰ को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आवेदन पत्र दिनांक 06-9-22 को पेश किया गया। वकील वादी द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	डिले को कण्डोन किये जाने के लिए यद्यपि धारा 5 मयादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है, परंतु अपने सगे भाई की मृत्यु की सूचना न्यायालय को नियत समयावधि 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत नही करना न्यायसंगत व तर्कपूर्ण नही माना जा सकता। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत कानूनी उद्धरण - ① 2024 DNJ (RAJ) Page - 203 ② 2023 DNJ (SC) page 220 ③ 2023 DNJ (Raj) Page. 583 में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक है कि संतोषजनक कारण के अभाव में डिले को कण्डोन नही किया जा सकता। लिहाजा वादी द्वारा ग्राम सेवाड़ी के खसरा नं. 2736 से 2744 कुल रकबा 3.73 हेक्टेअर के 1/5 हिस्से की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद अंतर्गत धारा 88, 188 RTA 1955 अबेटमेंट के जरिये खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली